न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 73 / 2025(GCMS 2025/347)
(RTI No. 212563928529191)

गोपाल सोनी पुत्र श्री भंवर लाल सोनी गांव 7केएनडी–ए, तहसील रावला मंडी, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल – 98282–39911)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपाल सोनी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2025 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि गोपाल सोनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. ग्राम 7 केएनडी–ए के किसानों का फसल खराबा मुआवजा प्रस्ताव कब तैयार हुआ और कब भेज गया?
2. क्या यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है? यदि नहीं तो किस स्तर पर लंबित है?
3. ग्राम 7 केएनडी–ए के कुल कितने किसानों को मुआवजा स्वीकृत हुआ और किन्हें अब तक भुगतान नहीं हुआ?
4. क्या मेरे नाम (गोपाल सोनी) की स्वीकृत हुई? मेरी राशि कितनी है और भुगतान की स्थिति क्या है?
5. जब आस–पास के गांवों का भुगतान हो चुका है, तो हमारे गांव 7 केएनडी–ए को मुआवजा राशि न मिलने का कारण क्या है?
6. इस प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम, पद और कार्यालय बताएं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपने पत्रांक [illegible]/2025/392 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 73/2025
(GCMS No. 2025/347)
(RTI No. : 212563928529191)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उक्त प्रारंगिक अपील के संदर्भ में निवेदन है कि श्री गोपाल सोनी का ऑनलाईन प्रार्थना पत्र संख्या 212401420471378 दिनांक 12.07.2025 इस कार्यालय को प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 154–155 दिनांक 19.08.2025 द्वारा तहसीलदार राजस्व रावला को नियमानुसार प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

श्रीमानजी के पत्र दिनांक 01.10.2025 द्वारा उक्त अपील इस कार्यालय को प्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार, राजस्व रावला को इस कार्यालय के पत्रांक 378 दिनांक 08.10.2025 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र लिखा गया। तहसीलदार रावला के पत्रांक 2578–79 दिनांक 13.10.2025 द्वारा आवेदक गोपाल सोनी को सूचना भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित किया गया, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर, आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.), रावला ने अपने पत्रांक आरटीआई/सू.का.अ./2025/2578 दिनांक 13.10.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

क्र.सं.	चाही गयी सूचना का विवरण	सूचना का विवरण
1	ग्राम 7 केएनडी–ए के किसानों का फसल खराबा मुआवजा प्रस्ताव कब तैयार हुआ और कब भेज गया?	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से संबंधित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तुत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई सूचना बना सकते है और ना ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह [illegible] आवेदक को सामग्री उ[illegible] प्रदान करे जिस रूप में [illegible] के पास उपलब्ध है। [illegible] कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान [illegible]ना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।
2	क्या यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है? यदि नहीं तो किस स्तर पर लंबित है?	
3	ग्राम 7 केएनडी–ए के कुल कितने किसानों को मुआवजा स्वीकृत हुआ और किन्हें अब तक भुगतान नहीं हुआ?	
4	क्या मेरे नाम (गोपाल सोनी) की स्वीकृत हुई? मेरी राशि कितनी है और भुगतान की स्थिति क्या है?	
5	जब आस–पास के [illegible] भुगतान हो चुका है, तो हमारे गांव 7 केएनडी–ए को मुआवजा [illegible] न मिलने का कारण क्या है?	
6	इस प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद और कार्यालय बताएं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 73/2025
(GCMS No. 2025/347)
(RTI No. : 212563928529191)

तहसीलदार (भू.अ.) रावला ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रावला** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रावला** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तामील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:49:39 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर